Advertisment for the Post of Director (Project), Dirctor (Operation), Director (Human Resource) and Director (Finance) in UJVNL

Applications are invited for the Post of Director (Project), Dirctor (Operation), Director (Human Resource) and Director (Finance) in Uttarakhand Jal Vidhut Nigam Ltd. (UJVNL) under the Department of Energy, Govt. of Uttarakhand so as to reach the Principal Secretary, Energy Department, Secretariat Office, Room No. 201, Second Floor, Vishwakarma Bhawan, 4 Subhash Road, Dehradun within 45 days from the date of publication of Advertisement. Detailed information regarding this post (Viz. Recruitment Amendment Rules 2021, Age, Academic Qualification, Experience, Status of service period of appointment, ACRs and Application form etc.) are available on Uttarakhand Govt. website www.uk.gov.in and UJVNL website www.ujvnl.com.

(R. Meenakshi Sundaram)
Principal Secretary

APPLICATION FORMAT

Instructions :- 1 Candidates are advised to carefully go through the Recruitment Rules-2021 (Amended) for Managing Director and Directors in UPCL/UJVNL/PTCUL issued vide Office Memorandum 629/I(2)/2021-05-16/2020 Dated 28 May, 2021 of Energy Department, Govt. of Uttarakhand and published alongwith this advertisement. In case of any discrepancy between aforesaid rules and this application form the rules shall prevail over.

2 Candidate may give all requisite details duly typed in the prescribed format in M.S. word)

Recent attested Photograph of applicant

1.	Name of the Post Applied for with organization (UJVNL/PTCUL)			:	
2.	(a)	Name of the applicant		:	
	(b)	Designation of the applicant (in full, including name of organization where employed)		:	
	(c)	Office Address		:	
3.	Address for Communication			:	
4.	Telephone Nos.	Office		:	
		Residence			
		Fax No.			
		Mobile No.			
		e-mail address			

5.	Eligibility Criteria fulfilment according to Rules, 2021 :-			
		Date of Birth	Age on date of Advertisement	Whether Eligible or Not
A.	Age			
		As per job specifications	Possessed by the officer	Whether eligible or not
B.	Academic/professional qualifications (along with the name of institutions)			
C.	Status			
D.	Experience			

6. Positions held during the preceding ten years :

Sl. No.	Designation and place of posting	Organization	From	To	Pay scale
1.					

2.					
3.					
4.					
5.					

6.(a) Nature and duration of experience relevant for the advertised post and job description as per Rules, 2021 :

Sl. No.	Designation and place of posting	Organization	From	To	Pay scale
1.					

7. In case the candidate is holding the present post on lien/deputation basis (for PSUs Executives) :-

   (a) Name of the organization in which the lien is held.

   (b) The date from which the lien is held.

   (c) Date from which candidate is on deputation.

8. (a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years : Yes or No

   If yes, the details thereof

8. (b) whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes : Yes or No

   If yes, the details thereof

9. In case the candidate is from private sector (not self-employed) then

   (a) Name of organisation in which post is held

   (b) The Post is Board level or immediately below the Board level

10. Certificate as prescribed in Rule 4 (ग) .

11. Annual Turnover of the Company where the candidate is employed (Certified copy to be attached) : Turnover Rs........... for the year .... (for PSUs/Private Sector Executives).

12. **Instructions for employer (For PSUs only) :**

According to Rules, 2021 while forwarding application through proper channel, the employer should enclose attested copies of ACRs for the preceding five years and Vigilance Clearance certificate in respect of applicant.

13. Certification and Declaration: (Candidate should give true and correct information. If it is found at any stage. (even after the appointment) that the same is false then his candidature would be rejected or appointment would be

terminated, as the case may be, and he would be debarred from participating in future selections.

I certify that :

(i) The annual report for the last audited financial year and annual turnover figures duly certified by the Company Secretary/CFO is enclosed at Encl. I (for SPSUs/for private sector executive the audited financial report for last three years along with market capitalisation Debt/Equity Ratio, Debt some coverage ratio).

(ii) A write up on the significant contributions made by me during the present/past assignments and my suitability for the post is enclosed at Encl. II. (For All Categories).

(iii) I am working at Board level position and reporting directly to .... on the Board or one level below Board level and reporting directly to a .... on the Board (For Private Sector Executives)

(iv) The Company in which I am working is listed on the .... (Name) .... Stock exchange.
A proof of listing is Encl. III (For Private Sector Executives).

I, certify that the details furnished by me in Column 1 to 10 are true and I am eligible for the post.

I, ... son of .... hereby certify that I have not been disqualified to act as a Director under Section 164 or any other relevant provisions of the Indian Companies Act, 2013.

I also certify that I am not facing any charge of, nor have ever been convicted for, any act of moral turpitude or economic offence.

I further submit my willingness for the interview and to join the post, if selected. I understand that, if I give my unwillingness after the interview is held, but before the appointment is processed or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of one year for being considered for a Board level post in any PSE, under the State of Uttarakhand other than the one to which I belong to.

Date :

Place:

( )

(Name and signature of the applicant

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या–629/I(2)/2021-05-16/2020
देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों यथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (यूपीसीएल), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यूजेवीएनएल) एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 पिटकुल के प्रबंध निदेशकों/निदेशकों की भर्ती/चयन हेतु आवेदन पत्रों की संख्या कम होने के दृष्टिगत नियमावली संशोधन हेतु एक समिति का गठन किया गया और चूंकि समिति द्वारा पूर्व में प्रख्यापित नियमों का परीक्षण करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों हेतु भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं गाइडलाइन्स इत्यादि का भी अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर उत्तराखण्ड के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण में संशोधन की आवश्यकता है।

अतः अब राज्यपाल उपरोक्त तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक/निदेशकों के चयन हेतु पूर्व में प्रख्यापित कार्यालय ज्ञाप संख्या–307/I(2)/2019–05–15/2016 दिनांक 20 फरवरी, 2019 का अधिक्रमण करते हुए शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सेवा के स्तर एवं अन्य शर्तों हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रकिया निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2021 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
रिक्तियों व चयन प्रकिया का प्रारम्भ	2.	ऊर्जा विभाग द्वारा तीनों ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक व निदेशकों के पदों की रिक्ति होने के 06 माह पूर्व से चयन प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
रिक्त पदों का विज्ञापन/परिचालन	3.	रिक्तियों को न्यूनतम 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं प्रादेशिक संस्करणों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में विज्ञापित

किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिक्तियों की सूचना सभी राज्यों, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय तथा सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा निगमों / कंपनियों को भी परिचालित की जायेगी और ऐसे राज्यों, विभागों / कंपनियों की एक सूची, पता सहित तैयार कर ली जायेगी। विज्ञापन के साथ सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र भी संलग्न किया जायेगा जो अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र उचित माध्यम से अर्थात् नियोक्ता के माध्यम से भेजा जायेगा;

परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र केवल उस दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाय;

परन्तु यह और कि आवेदन पत्र के प्रपत्र तथा इन नियमों में किसी अन्तर अथवा विरोधाभास के होने पर यह नियम प्रभावी होंगे।

अनुशासनिक कार्यवाही

4.(क) 4–(क) अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता अधिकारी से अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जांच के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्या, पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सार आदि का भी विवरण / प्रमाण–पत्र दिया जायेगा;

परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता का उपर्युक्त प्रमाण पत्र केवल उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाए।

सतर्कता जांच (सार्वजनिक क्षेत्र)

4.(ख) 4–(ख) राज्य के नियंत्रणाधीन विभागों / निगमों में कार्यरत अभ्यर्थियों के संबंध में सतर्कता प्रमाण–पत्र

निदेशक सतर्कता से लिया जायेगा। केन्द्रीय विभागों/उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों से सतर्कता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत लिया जायेगा।

सतर्कता जांच (निजी क्षेत्र)	4.(ग)	4–(ग) निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र इस आशय का लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (SEBI), कम्पनी कार्य मंत्रालय (MCA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व अभिसूचना निदेशालय (DRI), सी0बी0आई0 अथवा राज्य सरकारों एवं भारत सरकार की अन्य संस्था द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक अथवा सिविल कार्यवाही लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के नियोक्ता से भी इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा। निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विषय में उनके टर्न ओवर एवं आडिटेड बैलेंस शीट के अतिरिक्त उनके बाजार पूंजीकरण तथा वित्तीय अनुपातों, विशेष रूप से ऋण एवं पूंजी अनुपात (Debt Equity) की पिछले तीन वर्ष की जानकारी ली जायेगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के संबंध में पिछले 10 वर्षो के नियोक्ताओं का प्रमाण–पत्र भी लिया जायेगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी	5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित स्कूटनी समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। स्कूटनी समिति का अध्यक्ष अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी होगा।
चयन समिति	6.	आवेदन पत्रों की स्कूटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार समिति गठित होगी:– 1. मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (सार्वजनिक उद्यम) – सदस्य

(अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
   सचिव, वित्त – सदस्य

(अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
   सचिव, कार्मिक – सदस्य

(प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
   सचिव, ऊर्जा – सदस्य सचिव

6. मुख्य सचिव द्वारा नामित दो
   (02) विषय विशेषज्ञ – सदस्य

सेवा तथा पदों की प्रकृति

7. इन पदो की प्रास्थिति सावधि प्रकृति की (Tenure Based) है। नियुक्ति के उपरान्त सभी पदों पर नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) जो भी पहले हो, होगी। यदि राज्य सरकार का विनिश्चय हो जाए तो नियुक्त पदधारकों को 03 माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अवधि मे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

उक्त सभी पदों पर नियुक्त पदधारकों के कार्यो का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरान्त यथाप्रक्रिया 02 वर्ष के कार्यकाल में अभिवृद्धि अथवा अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) जो भी पहले हो, तक की जा सकेगी।

उक्त के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक/निदेशकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन यथाप्रक्रिया प्रतिवर्ष किया जायेगा।

अध्याय–2

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (परिचालन/परियोजना/ वित्त/मानव संसाधन) यूपीसीएल के पदों हेतु आयु, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि

प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल 8.(क) वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल :–182200–224100	**आयु**–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। **शैक्षिक योग्यता**– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि। इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रबंधन क्षेत्र की योग्यता रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। **अनुभव**– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी का कुल अनुभव 20 वर्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। **सेवा का स्तर**– 1– उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में निदेशक मंडल में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–10000 अथवा 51300–73000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक पद पर 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4– संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के

अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Compony) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के निदेशक अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत अपर सचिव अथवा उनके समकक्ष प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव, सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नही होंगे;

परन्तु यह और कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक, परिचालन, यूपीसीएल वेतनमानः पे मैट्रिक्सलेवल–16–182200–224100	8.(ख)	आयु–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि। इलैक्ट्रीकल/ मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। अनुभव–विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। जिसमें ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप मे आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

सेवा का स्तर–

1– उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन विद्युत निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्षका अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4– संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company)न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पदधारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षो का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो;

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक, परियोजना, 8.(ग) यूपीसीएल वेतनमान : पे मैट्रिक्सलेवल–16–182200–	आयु–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिकयोग्यता–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान

224100

से अभियन्त्रण में स्नातक / समकक्ष की उपाधि।

<u>अनुभव</u>– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।

<u>सेवा का स्तर</u>–

1– उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन विद्युत निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 स्तर–2 / महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 / महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नही) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित की जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below)के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक

	हो; परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
निदेशक(वित्त) यूपीसीएल, 8.(घ) वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–16 182200– 224100	<u>आयु</u>–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। <u>शैक्षिक योग्यता</u>– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से CA/ICWA/MBA(Finance)(नियमित) /PGDBM(FM)(02 वर्ष)(वित्त/वित्तीय प्रबन्धन में विशेषज्ञता) में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। <u>अनुभव</u>–विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। <u>सेवा का स्तर</u>– 1–राज्य सरकार के ऊर्जा निगम में कार्यरत मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अधिकारी (जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02 वर्ष)/सी.ए./आई.सी. डब्लू.ए. की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–6700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं भी पात्र होंगे। 3–उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी (जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02 वर्ष)/सी.ए./आई.सी. डब्लू.ए. की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होंने

20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होंगें। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।

4—संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हो। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षो का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता—2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें जिन्हें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बजट, कामर्शियल प्लानिंग तथा वित्तीय लेखा से संबन्धित कार्य का अनुभव हो एवं जिनके पास एम0बी0ए0 फाईनेन्स की योग्यता हो। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिकयोग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी ;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष/ राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, वित्त के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षिणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे ;

परन्तु यह और कि निदेशक, वित्त के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को विज्ञापन की तिथि से पूर्व के 10 वर्षो में कुल 05 वर्ष (संचयी रूप से) वित्तीय एवं कारपोरेट लेखा क्षेत्र का

अनुभव अनिवार्य होगा।

परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक (मानव संसाधन), यूपीसीएल, वेतनमान– पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	8.(ङ)	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि धारक पर्सनल मैनेजमैन्ट/मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बन्ध विषय में डिप्लोमा/डिग्री या एम0बी0ए0(नियमित)/विधि स्नातक/औद्योगिक अभियन्त्रण में मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को वरीयता दी जायेगी। अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। सेवा का स्तर– 1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत है भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के

पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षो का वार्षिक औसत टर्न–ओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, मानव संसाधन हेतु पात्र होगें, जिनको 20 वर्ष का प्रशासनिक एवं कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधित कार्यो का अनुभव हो तथा जिनके पास एम.बी.ए0 (एच. आर.) की योग्यता हो। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी ;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव, सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को प्रशासन का 10 वर्षो का व्यापक अनुभव अनिवार्य होगा।

परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–3

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (परिचालन/ परियोजना/ वित्त/मानव संसाधन) पिटकुल के पदों हेतु आयु, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल 9.(क) ,वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–18– 182200–224100	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि। इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रबंधन क्षेत्र की योग्यता रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी का कुल अनुभव 20 वर्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। प्रबंध निदेशक, पिटकुल के लिए विद्युत पारेषण/वितरण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। सेवा का स्तर– 1– उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में निदेशक मंडल में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–10000 अथवा 51300–73000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक पद पर 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

	4– संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नही) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो; परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के निदेशक अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत अपर सचिव अथवा उनके समकक्ष प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव, सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे; परन्तु यह और कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
निदेशक, परिचालन, पिटकुल, 9.(ख) वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि। इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। शैक्षणिक योग्यता के बाद का

अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।

सेवा का स्तर–

1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/ स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नही) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्न ओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक, परियोजना, पिटकुल, वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–	9.(ग)	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान

224100

से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि;

अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।

सेवा का स्तर–

1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन विद्युत निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/स्तर–2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं भी पात्र होंगे।

3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक(वित्त), पिटकुल, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल--16 182200-- 224100	9.(घ)	आयु-- विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता-- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान सेCA/ICWA/MBA(Finance)(नियमित)/PGDBM(FM) (02 वर्ष)(वित्त/वित्तीय प्रबन्धन में विशेषज्ञता) में उत्तीर्ण। अनुभव-- विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। सेवा का स्तर-- 1-- राज्य सरकार के ऊर्जा निगमों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता--2 स्तर से अन्यून ऐसे अधिकारी जिन्होनें 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02 वर्ष)/सी.ए./आई.सी.डब्लू.ए. की शैक्षिक योग्यता रखते हों। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 2--केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400--67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे--8700 अथवा 43200--66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3--उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता--2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी जिन्होनें 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02

वर्ष)/सी.ए./आई.सी.डब्लू.ए. की भी शैक्षिक योग्यता रखते हों। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।

4— संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नही) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्न—ओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता—2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, वित्त हेतु पात्र होंगें जिन्हें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बजट, कामर्शियल प्लानिंग तथा वित्तीय लेखा से संबन्धित कार्य का अनुभव हो एवं जिनके पास एम0बी0ए0 फाईनेन्स की योग्यता हो। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, वित्त के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि निदेशक, वित्त के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को विज्ञापन की तिथि से पूर्व के 10 वर्षों में कुल 05 वर्ष (संचयी रूप से) वित्तीय एवं कारपोरेट लेखा क्षेत्र का

		अनुभव अनिवार्य होगा। परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
निदेशक (मानव संसाधन), पिटकुल, वेतनमानः–पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	9.(ङ)	**आयु–** विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 59 वर्ष। **शैक्षिक योग्यता**–मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि धारक। पर्सनल मैनेजमैन्ट/मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बन्ध विषय में डिप्लोमा/डिग्री या एम०बी०ए०(नियमित)/विधि स्नातक/औद्योगिक अभियन्त्रण में मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को वरीयता दी जायेगी। शैक्षिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। **अनुभव**– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। <u>सेवा का स्तर</u>– 1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/स्तर–2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर

न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी {Cost to Company} न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षो का वार्षिक औसत टर्न–ओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5– राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, मानव संसाधन हेतु पात्र होगें, जिनको 20 वर्ष का प्रशासनिक एवं कार्मिकों के अधिष्ठान संबधित कार्यो का अनुभव हो तथा जिनके पास एम.बी.ए0 (एच.आर.) की योग्यता हो। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को प्रशासन का 10 वर्षो का व्यापक अनुभव अनिवार्य होगा।

परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी

प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–4

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (परिचालन / परियोजना / वित्त / मानव संसाधन) यूजेवीएनएल के पदों के लिए आयु, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि

प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–16 182200– 224100	10.(क)	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि। इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रबंधन क्षेत्र की योग्यता रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी का कुल अनुभव 20 वर्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल के लिए विद्युत उत्पादन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। सेवा का स्तर– 1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में निदेशक मंडल में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 / मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–10000 अथवा 51300–73000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान

		में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3–उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक के पद पर 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक /मुख्य अभियन्ता स्तर–1/ मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम रू0 40.00 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए, जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो; परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के निदेशक अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत अपर सचिव अथवा उनके समकक्ष प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे; परन्तु यह और कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
निदेशक, परिचालन, यूजेवीएनएल, वेतनमानः पे मैट्रिक्सलेवल–16–182200–224100	10.(ख)	<u>आयु</u>– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। <u>शैक्षिक योग्यता</u>– मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि। इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में परिचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।

सेवा का स्तर–

1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन ऊर्जा निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below)के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी

उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो ;

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक, परियोजना, यूजेवीएनएल, वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16 182200–224100	10.(ग)	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि। अनुभव– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। सेवा का स्तर– 1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन विद्युत निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/ स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के

अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो;

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक(वित्त) यूजेवीएनएल, वेतनमान मे मैट्रिक्स लेवल–16 182200– 224100	10.(घ)	आयु– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। शैक्षिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से CA/ICWA/MBA(Finance)(नियमित)/PGDBM(FM) (02 वर्ष) (वित्त/वित्तीय प्रबन्धन में विशेषज्ञता) में उत्तीर्ण। अनुभव–विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। सेवा का स्तर– 1– राज्य सरकार के ऊर्जा निगमों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अधिकारी जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02 वर्ष)/सी.ए./आई. सी.डब्लू.ए. की शैक्षिक योग्यता रखते हों। इन

अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।

2–केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3–उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी जिन्होनें 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा जो MBA (Finance)/PGDBM(FM)(02 वर्ष)/सी.ए./आई. सी.डब्लू.ए. की भी शैक्षिक योग्यता रखते हों।

इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।

4–संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता–2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें जिन्हें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बजट, कामर्शियल प्लानिंग तथा वित्तीय लेखा से संबन्धित कार्य का अनुभव हो एवं जिनके पास एम0बी0ए0 फाईनेन्स की योग्यता

हो। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी ;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष/ राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, वित्त के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि निदेशक, वित्त के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को विज्ञापन की तिथि से पूर्व के 10 वर्षों में कुल 05 वर्ष (संचयी रूप से) वित्तीय एवं कारपोरेट लेखा क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य होगा।

परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक (मानव संसाधन) यूजेवीएनएल वेतनमान–पे मैट्रिक्स लेवल–16 182200–224100	10.(ङ)	<u>आयु</u>– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष। <u>शैक्षिक योग्यता</u>–मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि। पर्सनल मैनेजमैन्ट/मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बन्ध विषय में डिप्लोमा/डिग्री या एम0बी0ए0(नियमित)/विधि स्नातक/औद्योगिक अभियन्त्रण में मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को वरीयता दी जायेगी। <u>अनुभव</u>– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। <u>सेवा का स्तर</u>– 1–उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी

निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2-केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400-67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे-8700 अथवा 43200-66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

3- उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4-संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियो द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो।

5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता-2 स्तर से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, मानव संसाधन हेतु पात्र होगें, जिनको 20 वर्ष का प्रशासनिक एवं कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधित कार्यों का अनुभव हो तथा जिनके पास एम.बी.ए0 (एच.आर.) की योग्यता हो। इन अधिकारियों के संबन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी;

परन्तु 45 से 58 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव

अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को प्रशासन का 10 वर्षों का व्यापक अनुभव अनिवार्य होगा;

परन्तु यह भी कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

मौलिक नियुक्ति का स्पष्टीकरण

11. अध्याय 2, 3 एवं 4 मे "मौलिक नियुक्ति" अथवा "मौलिक रूप से नियुक्त" का अर्थ यह है कि यह नियुक्ति संविदात्मक/तदर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तो प्रतिनियुक्ति के पद को मौलिक नियुक्ति नहीं माना जायेगा। यद्यपि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी तथा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी इस प्रावधान से आच्छादित नहीं होंगे। परन्तु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पदों पर तदर्थ अथवा कार्यवाहक रूप में कार्यरत अभ्यर्थी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।

चयन अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने की दशा में प्रावधान

12. तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मानव संसाधन तथा निदेशक, वित्त के पदों पर चयन प्रकिया पूर्ण न हो पाने, चयन के फलस्वरूप योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से रिक्त रहने की स्थिति में विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशकों के पद पर अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के पद धारक की तैनाती की जा सकती है।

तदर्थ सेवा विस्तार	13.	विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर यदि नवीन नियुक्ति किया जाना संभव न हो तो निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदधारक को नियम–7 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्धारित कार्यकाल के पश्चात अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) प्राप्त करने से पूर्व अधिवर्षता आयु की सीमा तक सेवाविस्तार मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से दिया जा सकता है।
सेवानिवृत्तिक लाभ की अनुमन्यता	14.	सेवानिवृत्तिक लाभ केवल उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होंगे जो निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक रूप से राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में नियुक्त रहे हों तथा सम्बन्धित निगम अथवा विभाग में उनका धारणाधिकार सुरक्षित हो। यह लाभ संबंधित मूल निगम अथवा मूल विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। अन्य अभ्यर्थियों को इस प्रकार के लाभों की अनुमन्यता नहीं होगी।
व्यावृत्ति	15.	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी कठिनाई होने पर अथवा राज्य सरकार का विनिश्चय होने पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
निरसन	16.	इस नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त इस विषय पर जारी समस्त पूर्व नियम निरसित समझे जायेंगे।

(राधिका झा)
सचिव

629
संख्या :/I(2)/2021-05-16/2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।